राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

गुरुवार,

23 मार्च, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.32 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् मातरम् । वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी ।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी ।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री हीरालाल विश्नोई को 23 मार्च से 29 मार्च, 2000 तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने अपनी पुत्री के विवाह के कारण दिनांक 23 मार्च, 2000 से 29 मार्च, 2000 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री अब्दुल अजीज को दिनांक 23 मार्च, 2000 से एक सप्ताह तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा ने हज यात्रा पर सउदी अरब जाने के कारण दिनांक 23 मार्च, 2000 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

सचिव, विधान सभा ।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली) : महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं, उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर

(श्री जसवन्त सिंह माली)

राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक, 1999

(2) जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999

(2) राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999

(3) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999

(4) राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 1999

(5) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999

(6) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999

(7) राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1999

(8) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999

संदेश

संविधान (84-वां संशोधन) विधेयक, 1999 का अनुसमर्थन

महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 118 का (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चौरासिवां संशोधन) विधेयक, 1999 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है :—

PARLIAMENT OF INDIA
RAJYA SABHA SECRETARIAT

No. RS. 11/25/99–B

Dated the 4th November, 1999

From

Shri R.C. Tripathi,
Secretary–General,
Rajya Sabha.

To

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Vidhan Sabha Bhawan,
Jaipur.

Sub. –The Constitution (Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999–ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999 has been passed by the House of the People on the 27th October, 1999 and by the Council of States on the 28th

(श्री जसवन्त सिंह माली)

October, 1999 A copy of the Bill, as introduced in the House of the People and a copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, are sent herewith.

2. As the Bill contains an amendment which will attract the provisions of clause (d) of the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution, the amendment will require to be ratified by the Legislatures of not less than one–half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly, as early as practicable, and the result be communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution my be on the following lines :–

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution(Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999, as passed by the two House of Parliament."

5. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/–
(R. C. Tripathi)

महोदय, मैं, राज्य सभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश की प्रति सदन पटल पर रखने से पूर्व माननीय सदस्यों को वितरण

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपने सी. पी जोशी एवं अन्य सम्बन्धित मंत्रियों को अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का आदेश दिया है। आम तौर पर अध्यादेश की प्रति माननीय सदस्यों को पूर्व में मिल जाती हैं और उसके बाद में अध्यादेश सदन की मेज पर रखा जाता है। दुर्भाग्य से, कारण चाहे कुछ भी रहा हो लेकिन अध्यादेश की प्रति आज तक विपक्ष के या मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों तक को नहीं मिली है। यह कापी मिल जाए तो हम इस बात का असेसमैंट कर सकते हैं कि अध्यादेश किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात के लिए है, क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह पहला अवसर है विधान सभा के इतिहास में कि अध्यादेश की प्रति न मिले और अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखने के बाद में अध्यादेश जो भी प्रामलगेट हुए हैं, उनकी प्रतियां आज आपको मिल जाएंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह तो मिल जाएंगी लेकिन व्यवस्था के हिसाब से मैं कह रहा हूं। कापियां तो मिल जाएंगी लेकिन कापी पहले मिलनी चाहिए। आज तक यह परम्परा रही है कि जो भी अध्यादेश इश्यू किया जाता है, उसकी प्रतियां सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाती है और उसके बाद में वह मंत्री महोदय उसकी प्रति सदन की मेज पर रखते हैं। आज हम सब अंधकार में हैं कि यह किस प्रकार का अध्यादेश है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपको आज वितरण कर दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं?

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश के ऊपर आज कोई चर्चा हो नहीं रही है और वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किस दिन लिये जाएंगे, उस दिन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा होने का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा की बात नहीं कह रहा हूं, न मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं इस स्टेज पर लेकिन यह व्यवस्था की बात है। आज सरकार है, वह अध्यादेश की प्रतियां सारे माननीय सदस्यों को नहीं पहुंचा सके

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अब आप बिराजो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप बिराजो तो जवाब दूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि गजट की कापियां सभी माननीय सदस्यों को यह बगैर कोई कोस्ट लिये हुए, डाक खर्चा भी सरकार वहन करती है और आपके पास भेजी जा चुकी हैं। आपने कृपा पूर्वक कष्ट नहीं किया। अगर आप देखते तो उसके अन्दर वह आर्डिनेंस भी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये। आप बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, हमारे चीफ व्हीप को पता ही नहीं है कि गजट की प्रतियां....

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीफ व्हीप नहीं हूं, मिनिस्टर आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि चीफ व्हीप का भी राइट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि यह व्यवस्था का प्रश्न है। दो माह पूर्व जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक शुरू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई, अध्यक्ष महोदय, उस समय से हमें एक भी आर्डिनेंस की कापी नहीं मिली है। और चाहे मंत्री हो या चीफ व्हिप और ये मंत्री महोदय सन् 1952 से चुनकर आ रहे हैं और हमारे मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि अध्यादेश गजट के माध्यम से माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाता है? हमारे अनभिज्ञ मंत्रीजी, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 महीने से जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक प्रारम्भ हुई है, गजट की प्रतियां हमें नहीं मिली हैं। ये आपको क्या समझते हैं, चीफ व्हिप समझें या मंत्री समझें, या ऐसा कुछ है तो आपको पता ही नही है। यह तो आप अशोकजी की कृपा से यहां बैठे हो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बात पर तो मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फिर गलती करोगे, आप बैठ जाओ। (व्यवधान) मैं कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं कह रहा हूं। हमको कापी मिलनी चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं पहुंची है तो अब पहुंच जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था कि सब के पास कापी है। छपी हुई हमारे पास है तो आपके पास भी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह दीजिये कि नहीं मिली हैं। आप यह कह दीजिये, नहीं तो फिर मैं प्रिविलेज लेकर आऊंगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यह कह रहा हूं कि सबके पास पहुंची होगी।

एक माननीय सदस्य : नहीं होगी तो अब दे देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और नहीं होगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है, अभी दे देंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा इसमें कोई इश्यू नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी बहस की आवश्यकता हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था है तो दे देंगे लेकिन भविष्य में....

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि पूर्व में भी अध्यादेश की जो प्रतिलिपि है, वह सदन की मेज पर रखने के बाद ही वितरित की जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं साहब, ऐसा नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हमेशा, अभी तक जो मुझे सचिवालय ने सूचना दी हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे माफ करना, ऐसा नहीं है। आपको जो सूचना दी है, वह सही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सदन की मेज पर रखने का मतलब, यह तो रूल्स में है, कांस्टीट्यूशन में है कि जिस समय भी कोई आर्डिनेंस इश्यू हो, तो सदन की पहली बैठक पर या पहले अवसर पर इसको सदन की मेज पर रखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कापी सबको सर्क्यूलेट होगी। यह एक अपनी व्यवस्था है कि सारे मैम्बर्स को गजट की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कापी दी जाती है और गजट की कापी में आर्डिनेंस की कापी भी हमको मिल जाती है। अब के नहीं मिली और नहीं मिली है, उस स्थिति में क्या आर्डिनेंस आप पेश कर रहे हैं, क्यों पेश कर रहे हैं, उसकी प्रायर स्टडी होनी चाहिए। आप चाहे हमारा बोलने का अधिकार मानें या नहीं मानें, कि इस स्टेज के ऊपर हम आर्डिनेंस का विरोध कर सकते है या नहीं कर सकते हैं लेकिन राइट्स तो हैं कि यह आर्डिनेंस क्या है। तो यह पता ही नहीं है कि आर्डिनेंस क्या है। पंचायती अधिनियम का आर्डिनेंस है या....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आर्डिनेंस प्रख्यापित करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखेंगे और वह आपको वितरित कर दी जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, वह सब मालूम है। वह कारण तो जिस समय बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाएगा, इस रूप में जिस समय यह कारण बताएंगे, यह प्रोसीजर तो बहुत देखा है लेकिन यह बात पहली बार आई है कि कापी नहीं मिली और अंधेरे में आप आर्डिनेंस की कापी यहां रखना चाहें, यह आप उचित समझें तो करवा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन यह गलत परम्परा होगी, आज तक के 30 वर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी कोई गलत परम्परा नहीं है। आपने फरमा दिया, ज्यों ही यह आर्डिनेंस यहां पेश होगा, यहां पेश करने के बाद में आपको कापी तुरन्त दे दी जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब अभी तक नहीं दी ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां–हां, वह तो कह ही रहा हूं। यह आपके पास पहुंची नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऐसे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम यह नहीं कह रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कह रहे हैं कि आपके पास शायद पहुंची नहीं होगी तो अभी... और पहुंच गई है तो आपने उनको देखी नहीं होगी, इसलिए आप कृपापूर्वक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप कम बोलोगे तो आपकी बात छिपी हुई रहेगी। ज्यादा बोलोगे तो आपकी बुद्धि प्रकट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे जैसी व्यवस्था दें लेकिन यह गलत परम्परा होगी। आर्डिनेंस के बारे में, आर्डिनेंस की जानकारी होनी चाहिए सदस्यों को, वह चाहे विरोध करें या नहीं करें, किस स्टेज पर इसका विरोध करें, किस सीमा तक उसका विरोध करें, लेकिन कापी टेबल पर रखी जाए, उसकी कापी हमारे पास होनी चाहिए। वह कापी नहीं है और यह जो फार्मेलिटीज है कि पहले ही दिन यह पेश किया जाए, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके अधिकार की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह आर्डिनेंस कल रखवा दें। उस समय तक कापी हमको मिल जाएगी। यह कोई कांस्टीट्यूशनल वायोलेशन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आप प्रताड़ित कीजिये इस तरह की बात पर।

श्री अध्यक्ष : पूर्व की परम्परा तो यह रही है कि अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखने के बाद में माननीय सदस्यों को वितरित की जाती है। अभी तक हमेशा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : यह सही है। आपके वक्त में ऐसा ही था।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई लगती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ; नहीं, मेरी याददाश्त तो जब आप टैस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि मेरी याददाश्त कितनी तेज है। आप बोलो मत।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। श्री सी. पी. जोशी।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित पांच अध्यादेश सदन की मेज पर प्रस्तुत करती हूं :–

(1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–8),

(2) राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–9),

(3) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-2),

(4) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-3), एवं

(5) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-4)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का आदेश संख्या-7) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-6) सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना
गृह विभाग

श्री अध्यक्ष : अधिसूचना श्री गुलाब सिंह शक्तावत ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या प. 20 (2) गृह-9/88 दिनांक 16 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर प्रतिषेध किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन
सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 34वां वार्षिक (1998-99) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन । डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक (1998-99) का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम का 41वां वार्षिक (1998-99) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन ।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का 24वां वार्षिक (1998-99) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह ।

श्री हरिसिंह (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक (1997-98) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी ।

श्रीमती कमला (सिचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 1997 से जून, 1998 सदन की मेज पर रखती हूं।

लोकायुक्त का प्रतिवेदन तथा उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन श्री रामकुमार जेलर, केन्द्रीय कारागार, बीकानेर के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : मास्टर भंवरलाल।

मास्टर श्री भंवरलाल (राज्य मंत्री, कारागार) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अन्तर्गत माननीय लोकायुक्त का प्रतिवेदन श्री रामकुमार जेलर, केन्द्रीय कारागार, बीकानेर के सम्बन्ध में तथा धारा 12 (5) के अन्तर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति

डा शंकर दयाल शर्मा, पूर्व राष्ट्रपति, श्री कृष्ण पाल सिंह, पूर्व राज्यपाल गुजरात, श्री कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल बिहार, श्री बी. रचैया, पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नल पी. एस. गिल, पर्व उप राज्यपाल गोवा, श्री तोमो रीबा, पूर्व मुख्य मंत्री, अरूणाचल प्रदेश, श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा, श्री मुक्तिलाल मोदी, ले. कर्नल प्रताप सिंह, श्री भैरूलाल रानीपुरिया, श्री सूर्यनारायण चौधरी, श्री रघुनन्दन व्यास, श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, श्रीमती कमला, श्रोत्रिय, श्री धन्नालाल हरित तथा श्री केसरी सिंह, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा, गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री कृष्णपाल सिंह बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री कृष्णवल्लभ नारायण सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी. रचैया, गोवा के पूर्व उप राज्यपाल कर्नल पी. एस. गिल, अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री तोमो रीबा तथा इस विधान सभा के सदस्य श्री भीमसेन चौधरी, पूर्व सदस्य श्री मुक्तिलाल मोदी, कर्नल प्रताप सिंह, श्री भैरूलाल रानिपुरिया, श्री सूर्य नारायण चौधरी, श्री रघुनन्दन व्यास, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, श्रीमती कमला श्रोत्रिय, श्री धन्नालाल हरित तथा श्री केसरी सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त, 1918 को भोपाल में हुआ। आपकी आरम्भिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आपने हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में एम.ए. की उपाधियां प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एल. एल. एम. तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तथा लंदन यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की।

आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। गांधीजी के प्रत्येक आन्दोलन

(श्री अध्यक्ष)

में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक बार जेल भी गये। डा. शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 से 1956 तक भोपाल रियासत के मुख्य मंत्री रहे। इस रियासत के मध्य प्रदेश विलय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्री शर्मा तीन दशक से भी अधिक अवधि तक विधायक व सांसद के रूप में कार्यरत रहे। आप वर्ष 1952 से 56 तक भोपाल विधान सभा, 1956 से 71 तक मध्य प्रदेश विधान सभा, वर्ष 1971 से 77 तक 1980 से 84 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1956 से 67 की अवधि में आप मध्य प्रदेश सरकार में तथा वर्ष 1974 से 77 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रहे।

श्री शर्मा वर्ष 1984-85 में आंध्र प्रदेश, वर्ष 1985-86 में पंजाब तथा वर्ष 1986-87 में महाराष्ट्र के राजपाल के पद पर आसीन रहे। श्री शर्मा 3 सितम्बर, 1987 को उप राष्ट्रपति बनने पर राज्य सभा के सभापति बने। आप 25 जुलाई, 1992 को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए।

इण्डियन कौंसिल फोर कल्चरल रिलेशंस तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष रहे। डा. शर्मा केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड तथा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार समिति के चेयरमैन भी रहे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता डा. शर्मा उच्च कोटि के विद्वान थे। विधि तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के अलावा भारतीय दर्शन में शिक्षा और विभिन्न विषयों के तुलनात्मक अध्ययन में आपकी विशेष रूचि रही।

कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने में भी डा. शंकर दयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहे। आप वर्ष 1950 से 52 तक भोपाल कांग्रेस कमेटी तथा वर्ष 1967-68 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1968 से 72 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर तथा वर्ष 1972 से 74 तक इसके अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। लगभग 20 वर्ष तक आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे।

साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका अमूल्य योगदान रहा। अनेक पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े श्री शर्मा की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। डा. शर्मा की विद्वता, मानवता और ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना को मान्यता देकर देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानपूर्वक मानक उपाधियां प्रदान की हैं। डा. शर्मा ने विदेशों की भी अनेक यात्राएं कीं।

डा. शर्मा ने वर्ष 1980 में ओस्लो में हुए अन्तर संसदीय संघ सम्मेलन सहित अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

डा. शंकर दयालजी शर्मा का दिनांक 26 दिसम्बर 1999 को निधन हो गया।

गुजरात के पूर्व राज्यपाल तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह का जन्म 2 अगस्त, 1922 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार बिरहुली ग्राम में

(श्री अध्यक्ष)

हुआ। आपने बी. ए., एल. एल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। आप वर्ष 1962, 1967, 1972, 1977, 1980, 1990 और 1998 में कुल 7 बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1967 से 1985 तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंत्रिमण्डलों में तथा वर्ष 1990 में श्री श्यामाचरण शुक्ल मंत्रिमण्डल में आप मंत्री पद पर रहे। वर्ष 1990 में आप सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता भी रहे। वर्ष 1996 से जनवरी, 1998 तक आप गुजरात के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

वर्ष 1942 में राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रहकर आपने लगभग एक वर्ष जेल की यात्रा की। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के अतिरिक्त आप समाजवादी आन्दोलन से भी जुड़े रहे। विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहकर आपने एक दर्जन से भी अधिक जेल यात्राएं कीं।

विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के दो बार अध्यक्ष रहे श्री कृष्णपाल सिंह लम्बे समय तक कांग्रेस संगठन से संबद्ध रहे। इस दौरान आप अखिल भारतीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमन्त्रित सदस्य रहे।

श्री कृष्णपाल सिंह का दिनांक 27 सितम्बर 1999 को निधन हो गया।

बिहार के पूर्व राज्यपाल तथा पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह का जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिले के कुल्हाड़िया ग्राम में 25 जनवरी, 1922 को हुआ।

9 दिसम्बर, 1946 को पटना उच्च न्यायालय से वकालात शुरूआत करते हुए श्री कृष्णबल्लभ नारायण सिंह 15 अगस्त, 1966 को पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, 21 मार्च, 1968 को स्थायी रूप से न्यायाधीश तथा 19 जुलाई, 1976 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाये गये। इस पद पर आप 11 मार्च, 1982 तक आसीन रहे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए आप दो बार, वर्ष 1978 व 1979 में बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। 12 मार्च, 1982 को आप मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित हुए जहां से आप 24 जनवरी, 1984 को सेवानिवृत्त हुए।

श्री कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह का दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया।

(13.00 बजे)

हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बी. रचैया का जन्म 10 अगस्त, 1922 को मैसूर जिले के अलूर ग्राम में हुआ। आपने बी. एस. सी. तथा विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रचैया ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा वर्ष 1947 के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश कर आप कर्नाटक विधान सभा के सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1957, 1962, 1967, 1983 तथा 1985 में पुनः विधान सभा के सदस्य चुने गये। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1962 से 67 तक आप मैसूर सरकार में वन, मत्स्य और बागवानी विभाग के मंत्री वर्ष 1967-68 में राजस्व तथा वन विभाग के मंत्री तथा वर्ष 1968 से 70 तक कृषि तथा बागवानी विभाग के मंत्री रहे। सातवीं और आठवीं विधान सभा के कार्यकाल 1983-89 के दौरान भी आप कर्नाटक सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे।

आप वर्ष 1974 में राज्य सभा के तथा वर्ष 1977 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल में उद्योग मंत्री रहे। 15 फरवरी से 19 दिसम्बर, 1990 तक आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व आप कर्नाटक प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा दलितों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री रचैया ने छुआछूत, निरक्षरता तथा निर्धनता दूर करने के लिए समर्पित भाव से कार्य किया।

श्री बी. रचैया का दिनांक 13 फरवरी, 2000 को निधन हो गया।

गोवा के पूर्व उप राज्यपाल कर्नल प्रताप सिंह गिल का जन्म 20 जनवरी, 1916 को पंजाब में हुआ।

कर्नल गिल वर्ष 1935 में सेना में सम्मिलित हुए। वर्ष 1939-45 के द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप वर्ष 1966 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। कर्नल गिल 16 नवम्बर, 1977 को केन्द्र शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव के उप राज्यपाल तथा दादर एवं नगर हवेली के प्रशासक बनाये गये। आप वियतनाम में इन्टरनेशनल कन्ट्रोल कमीशन के चेयरमैन भी रहे।

कर्नल श्री पी. एस. गिल का दिनांक 13 फरवरी, 2000 को निधन हो गया।

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री तोमोरीबा का जन्म वर्ष 1934 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सिआंग जिले के दारिंग ग्राम में हुआ। आपने शिलांग के सेंट एडमण्ड्स कालेज से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व आपने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के रूप में तथा इसके बाद अरुणाचल सरकार में अनेक पदों पर कार्य किया। वर्ष 1972 में राजकीय सेवा से त्याग-पत्र देकर आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और बसर अंचल समिति के सदस्य, पश्चिम सिआंग की जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदि के पदों पर रहे।

वर्ष 1975 में जब प्रदेश परिषद को प्रांतीय विधान सभा में बदला गया तब आप कृषि मंत्री बनाये गये और वर्ष 1977 तक कृषि के साथ-साथ अनेक विभागों के मंत्री रहे। मंत्री पद से त्याग-पत्र देकर

(श्री अध्यक्ष)

आपने अरुणाचल पीपुल्स पार्टी का गठन किया और वर्ष 1979 में कुछ समय के लिए अरुणाचल के मुख्य मंत्री बने।

मार्च 1995 में आप द्वितीय अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए, विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देकर आप 1996 में पश्चिम अरुणाचल संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य चुने गये।

श्री तोमो रीबा का दिनांक 16 फरवरी, 2000 को निधन हो गया।

लूणकरणसर के विधायक तथा पूर्व मंत्री श्री भीमसेन चौधरी का जन्म बीकानेर जिले के बंधा ग्राम में 5 जनवरी, 1925 को हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, दसवीं तथा वर्तमान ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए आप इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1963–64 व 1972–73 में गृह समिति तथा वर्ष 1965–66 में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति रहे। वर्ष 1967–71 में आप राजस्थान सरकार में खान एवं उद्योग विभागों के मंत्री रहे। दसवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति में सदस्य रहे।

प्रदेश के नवनिर्माण और किसानों में जागृति के लिए सतत् रूप से सक्रिय रहे श्री चौधरी वर्ष 1963–70 तक भारत सेवक समाज के संयोजक तथा वर्ष 1991 से भारत कृषक समाज के संयोजक रहे। उरमूल डेयरी, बीकानेर के संस्थापक अध्यक्ष रहे श्री चौधरी वर्ष 1984–86 में इसके निदेशक भी रहे। आप वर्ष 1981–84 व 1987–90 में भूमि विकास बैंक में निदेशक रहे।

कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर रहने के अलावा आप वर्ष 1956–59 में जिला बोर्ड, बीकानेर के अध्यक्ष और 1959–62 में बीकानेर के जिला प्रमुख तथा राजस्थान किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री भीमसेन चौधरी का दिनांक 15 मार्च, 2000 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री मुक्तिलाल मोदी का जन्म 19 जून, 1919 को जयपुर जिले के अमरसर ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अष्टम् राजस्थान विधान सभा में दो बार बैराठ तथा दो बार कोटपूतली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में कार्यकाल में आप अनेक समितियों के सदस्य रहे।

श्री मोदी वर्ष 1936 में जयपुर प्रजा मण्डल के सदस्य व वर्ष 1942 में देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य रहे। आपने श्री जमना लाल बजाज के साथ अनेक सत्याग्रहों में भाग लेकर जेल यात्राएं कीं। आप वर्ष 1940 में सेवाग्राम शिविर में

(श्री अध्यक्ष)

सम्मिलित हुए और वर्ष 1942 में आपने आजाद मोर्चे का गठन किया। इसी वर्ष आपको जयपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार-प्रसार करने पर जेल जाना पड़ा।

वर्ष 1971-72 में ताम्रपत्र से सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी श्री मोदी अमरसर खादी संस्था सहित अनेक ट्रस्टों के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1947–48 में देश विभाजन के समय शरणार्थियों को आवास, भोजन व रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा गांवों में पाठशालाओं और वाचनालयों की स्थापना में श्री मोदी का विशेष योगदान रहा। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आपने आजीवन अविवाहित रहकर जनमानस को प्रेरित किया।

श्री मुक्तिलाल मोदी का दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह का जन्म 15 अक्टूबर, 1944 को हुआ। आपने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की।

कर्नल प्रताप सिंह आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिए जैतारण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1985–86 में प्राक्कलन समिति "ख", वर्ष 1986-87 में जनलेखा-समिति तथा वर्ष 1987-88 में राजकीय उपक्रम समिति में सदस्य रहे।

आप वर्ष 1963 से ही प्रादेशिक सेना में सम्मिलित रहे। सेना में रहते हुए आपने वर्ष 1965 व 1971 के भारत–पाक युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1971 में सेना दिवस एवं गणतन्त्र दिवस परेड़ में आपने टी. ए. कान्टीनेंट्स का संचालन किया। आपको वर्ष 1980 में टी. ए. डेकोरेशन का पुरस्कार तथा वर्ष 1985 में विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। आप वर्ष 1985 में जोधपुर विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट के सदस्य रहे। आपने 7वें गुट निरपेक्ष आन्दोलन की आयोजन समिति में तथा राष्ट्रमण्डल के राष्ट्राध्यक्षों की 8वीं बैठक हेतु गठित समन्वय समिति में रक्षा राज्य मंत्री को सहयोग किया।

कर्नल प्रताप सिंह ने हाकी, क्रिकेट तथा बास्केटबाल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 1982 में दिल्ली के नवें एशियाई खेलों एवं 1983 में मिश्र में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में भारतीय टीम के मैनेजर रहे। आप रामगढ़ झील में आयोजित प्रथम अन्तरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता की आयोजित समिति के समन्वयक भी रहे।

कर्नल प्रताप सिंह का दिनांक 26 अक्टूबर, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री भैरूलाल का जन्म झालावाड़ जिले के ग्राम रानीपुरा में वर्ष 1922 में हुआ। आपने पांचवीं कक्षा व प्रथमा तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भैरूलाल पांचवीं राजस्थान विधान सभा, 1972–77 में अकलेरा निर्वाचन क्षेत्र से तथा सातवीं विधान सभा, 1980–85 में मनोहरथाना (झालावाड़) निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

आप वर्ष 1981-84 में नियम समिति तथा वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना संगठन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। आप समाज सेवा तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

समाज सेवा में रूचि रखने वाले श्री भैरूलाल गोमती सागर, झालरापाटन पशु मेला समिति, तेंदू पत्ता सलाहकार समिति तथा बन्दियों को समय से पूर्व छोड़े जाने हेतु गठित सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1949-53 में ग्राम पंचायत ल्हास व वर्ष 1958-59 में तहसील पंचायत अकलेरा के सरपंच, वर्ष 1959-60 में पंचायत समिति, मनोहरथाना के उप प्रधान वर्ष 1960-64 में पंचायत समिति मनोहर थाना के प्रधान तथा वर्ष 1961 में जिला परिषद, झालावाड़ के सदस्य रहे।

श्री भैरूलाल का दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं समाजवादी नेता श्री सूर्यनारायण चौधरी का जन्म 28 मई, 1928 को सीकर जिले के नीमकाथाना कस्बे में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम. ए. एल. एल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी छठी राजस्थान विधान सभा के लिए नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए और 8 फरवरी, 1978 को राजस्थान सरकार में उद्योग, विधि, निर्वाचन, मुद्रण और लेखन सामग्री तथा संसदीय मामलात विभाग के मंत्री बनाये गये।

आपके पूरे परिवार का स्वतंत्रता आन्दोलन और जाति प्रथा उन्मूलन में विशेष योगदान रहा। आपने वर्ष 1964 में पिलानी में छात्र-व्यवस्था के विरूद्ध आन्दोलन कर सर्वप्रथम विद्यार्थियों की यूनियन बनाने का अग्रणी कार्य किया।

श्री चौधरी राजस्थान में समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में गिने जाते हैं। वर्ष 1948 में श्री राजनारायण के साथ प्रथम बार जेल यात्रा के बाद विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आन्दोलनों में भाग लेकर आपने 76 बार जेल यात्राएं कीं। आप हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी का 8 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रघुनन्दन व्यास का जन्म 31 अक्टूबर, 1921 को हुआ। आपने बी. ए. एवं प्रभाकर की उपाधियां प्राप्त कीं।

आप छठी राजस्थान विधान सभा के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1942 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सम्बद्ध रहे और पाकिस्तान बनने तक कराची में राष्ट्र भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य करते रहे। राजनीतिक कार्यों के लिए कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा।

देशी खेलों, पुस्तकों के अध्ययन और

(श्री अध्यक्ष)

पुरातत्व के स्थानों में रूचि रखने वाले श्री रघुनन्दन व्यास ने राष्ट्र भाषा और संस्कृत प्रचार का महत्ती कार्य किया। सहकारिता से जुड़े रहने के लिए आपने भारत भर में तहसील स्तर तक यात्राएं भी कीं।

श्री रघुनन्दन व्यास का दिनांक 7 जनवरी, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का जन्म श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर कस्बे में 28 फरवरी, 1928 को हुआ। आपने एम. एस. सी. (भौतिक शास्त्र) की उपाधि प्राप्त की।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा तृतीय राजस्थान विधान सभा में रायसिंहनगर क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से साम्यवादी पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अनेक समितियों के सदस्य रहे।

आप छात्र जीवन में राजस्थान स्टूडेन्ट फैडरेशन के सचिव, महाराजा कालेज स्टूडेन्ट यूनियन व विज्ञान संघ के अध्यक्ष, इन्टलेक्युअल एसोसिएशन व साहित्य समाज के अध्यक्ष तथा विद्यार्थी कांग्रेस के सचिव रहे। आपने स्थानीय महाराजा कालेज में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया।

आपने विभिन्न जन-आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1942 में विद्यार्थी आन्दोलनों को संचालित करने के कारण आपको 14 वर्ष की आयु में ही जेल जाना पड़ा। आप जीवन भर किसानों व मजदूरों के हितों के लिए संघर्षशील रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का दिनांक 23 फरवरी, 2000 की रात्रि में निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्रीमती कमला श्रोत्रिय का जन्म मध्य प्रदेश के सदबन ग्राम में हुआ। आपने विदुषी (आनर्स) तक शिक्षा प्राप्त की।

श्रीमती श्रोत्रिय द्वितीय राजस्थान विधान सभा के लिए भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुईं। आपने राजस्थान महिला विद्यालय में करीब दो वर्ष अध्यापन का कार्य किया। आप राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार समिति, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार समिति तथा राजस्थान जनजाति विकास अभिकरण की प्रशासनिक समिति की सदस्या रहीं।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आपने उदयपुर प्रजा मण्डल की महिला समिति के सचिव पद पर रहते हुए जेल यात्रा की। आपने सत्याग्रहियों के परिवारों की देखरेख का कार्य किया। विनोबा भावे के साथ भूदान आन्दोलन की अनेक पद यात्राओं में भाग लेने के साथ–साथ आप वर्ष 1965-80 में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की राजस्थान शाखा की प्रभारी रहीं। महिला मण्डल संस्थान उदयपुर की संस्थापिका और उसकी कार्यवाहक अध्यक्षा रहीं। श्रीमती कमला श्रोत्रिय को अणुव्रत विश्व भारती द्वारा "मेवाड़ की महामनीषी" लोकाभिनन्दन पत्र से सम्मानित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती कमला श्रोत्रिय का दिनांक 3 मार्च, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री धन्नालाल हरित का जन्म 27 मार्च, 1924 को बारां जिले की शाहाबाद तहसील के बारां बाई ग्राम में हुआ। आपने बी. ए. तथा साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री धन्नालाल हरित द्वितीय राजस्थान विधान सभा में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप कोटा जिला कांग्रेस पार्टी, जिला आर्य समाज एवं दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष तथा हरिजन सेवक संघ, भूमि वितरण कमेटी, हिन्दी प्रचारिणी सभा और कृषि एवं सहकारी समिति के सदस्य रहे। आप कोटा कला मण्डल के संचालक भी रहे।

दलित वर्गों के संगठन और हरिजन समाज के उत्थान हेतु सक्रिय रहे। श्री धन्नालाल हरित की साहित्य, अध्ययन, पुस्तक संकलन और ऐतिहासिक एव दर्शनीय स्थलों के भ्रमण में रूचि रही।

श्री धन्नालाल हरित का दिनांक 27 फरवरी, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक महाराज श्री केसरी सिंह का जन्म 16 जनवरी, 1923 को उदयपुर में हुआ।

बूंदी रियासत से पूर्व महाराजा केसरी सिंह प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में बूंदी जिले के पाटन विधान सभा क्षेत्र से संयुक्त दल के विधायक निर्वाचित हुए। आप बूंदी पंचायत के सरपंच भी रहे।

जन सेवा के अतिरिक्त आपकी घुड़ सवारी, चित्रकारी, फोटोग्राफी, संगीत और अध्ययन में भी विशेष रूचि थी।

महाराज श्री केसरी सिंह का दिनांक 30 सितम्बर, 1999 को निधन हो गया।

मैं, सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर दिवगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24.3.2000 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 13.22 बजे शुक्रवार; 24.3.2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

माननीय सदस्यगण,

इस वर्ष को हम राजस्थान स्वर्ण जयन्ति वर्ष के रूप में मना रहे हैं। राज्य के विकास में जिन ज्ञात और अज्ञात महानुभावों ने सहयोग दिया है उनका हम आज कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हैं और उनमें से जो महानुभाव आज हमारे बीच हैं उनके लिए हम दीर्घायु की कामना करते हैं। इस वर्ष स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पैंशन में वृद्धि कर इसे 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।

2. राज्य सरकार ने इस वर्ष नगर पालिका/परिषदों/निगमों के चुनाव कराये हैं तथा विषम परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से सम्पादित करवाने में सफलता प्राप्त की है।

3. राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी की "ग्राम स्वराज" की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने के साथ इन अभिकरणों में जिला प्रमुखों को अध्यक्ष बनाया गया है। ग्रामोत्थान की नौ महत्वपूर्ण योजनाएं जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई है। सरपंच को पंचायत समिति एवं प्रधान को जिला परिषद का सदस्य मनोनीत कर त्रिस्तरीय सामन्जस्य स्थापित किया गया है।

4. ग्राम सभाओं को लोक कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्ती जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है, जो ग्राम स्तर पर किये जाने वाले सभी विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण, सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नया अधिनियम लागू कर अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरपंचों की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करने लिए जिला आयोजना समितियों का गठन किया गया है, जिला प्रमुखों को इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है।

5. पंचायती राज संस्थाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी वातावरण निर्मित करने की दिशा में पंचायतीराज अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकने, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद से हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को कार्यभार सौंपने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अध्यक्ष के साथ-साथ

इन संस्थाओं के अधिकारियों को भी जिम्मेवार बनाने का प्रावधान किया गया है ।

6. राज्य के पारम्परिक जल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव हेतु जन सहभागिता के माध्यम से एक अभिनव योजना "राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम" अक्टूबर, 1999 से प्रारम्भ किया गया है ।

7. राज्य सरकार के अथक प्रयासों से मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मरु प्रसार को रोकने हेतु चार वर्षीय विशेष परियोजना स्वीकृत कराई गई हैं जिसकी कुल लागत 97.50 करोड़ रुपये हैं ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु "ऋण एवं अनुदान योजना" प्रारम्भ की गई है जिसमें 10 हजार रुपये का अनुदान एवं 40 हजार रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।

9. गत वर्षों में ग्रामीण विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कटौती होने का प्रमुख कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर समायोजन नहीं होना था । इसे दूर करने के लिए अभियान चलाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन किया जा रहा है । माह फरवरी, 2000 तक 762 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन किया जा चुका है ।

10. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्थान पर दुकानें निर्मित कर चयनित परिवारों के बेरोजगारों को आवंटित की जायेंगी ।

11. कमजोर वर्ग के लोगों को हर तरह का सम्बल प्रदान करना राज्य सरकार ने अपना पुनीत दायित्व समझा है । उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने हेतु अधिकाधिक ऋण सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य गारण्टी में तीन गुना वृद्धि की गई है । कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु राशि 50 प्रतिशत बढ़ाकर 675 रुपये प्रतिमाह की गई है । निःशक्त व्यक्तियों की सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के बेहतर पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, निःशक्त जन की नियुक्ति की गई है ।

12. इन्जीनियरिंग, मेडिकल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत तथा जनजाति के आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भी आरक्षण प्रारम्भ किया गया । शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है ।

अन्य पिछड़ा वर्ग में जाट, मेव, विश्नोई, हलाली, कसाई दांगी, तंवर, सोंधिया, गद्दी, भटियारा, सिलावट, खेरवा, धोबी, कायमखानी, कुन्जड़ा, सपेरा, मदारी-बाजीगर, नट, खेलदार, गाडोत नागौरी, सिंधी मुसलमान आदि 21 नई जातियों को भी सम्मिलित किया गया है ।

13. यह सर्व विदित है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के कार्यों का समुचित लाभ सामान्य जन तक नहीं पहुंचने दे रही है । अतः राज्य में बढ़ती जनसंख्या पर

नियंत्रण की दृष्टि से राजस्थान जनसंख्या नीति बनाई गई है। शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा किसी भी परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की गर्भवती महिला को प्रसव हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य में पल्स पोलियो अभियान में विशेष उपलब्धियां अर्जित की गई है। राजलक्ष्मी योजना में 11386 राजलक्ष्मी बॉण्ड जारी किये गये।

14. गम्भीर रोगों से ग्रस्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष 3 करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है। इस तरह के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडीकेयर रिलीफ कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। अब तक 23 लाख परिवारों को कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

15. क्षय रोग नियन्त्रण हेतु 85 करोड़ रुपये की योजना पर 12 जिलों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं 2000–2001 के दौरान शेष समस्त जिलों में योजना का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता से 86 करोड़ रुपये की राशि की योजना प्रारम्भ हो चुकी है। राज्य के 10 जिलों में कैंसर नियन्त्रण हेतु 1.5 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं। बीकानेर मेडीकल कालेज में भारत सरकार की सहायता से रीजनल कैंसर सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

16. राज्य में इस वर्ष 6000 बस्तियों (हेबीटेशन्स) में पेयजल पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्षा की कमी के कारण चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर व जालौर जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। ग्रीष्म काल के कठिन दिनों में आम जनता को विशेषतः इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रभावी कार्य किया गया। अप्रेल, 1999 के दौरान इन्दिरा गांधी नहर में करीब 25 दिवस पानी का प्रवाह नहीं होने के समय विशेष ध्यान देते हुए बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पेयजल व्यवस्था बनाये रखी गयी। इस वर्ष कम वर्षा के कारण कई जिलों की शहरी व ग्रामीण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रीष्म काल में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए आपात योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से कार्यों की क्रियान्विति की जा रही है।

17. जोधपुर शहर को इन्दिरा गांधी नहर से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 149.02 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है जिससे जोधपुर शहर की 2011 वर्ष तक की मांग पूरी हो सकेगी। जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 1100 करोड़ रुपये की योजना का कार्य हाथ में लिया गया है।

18. राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन के अन्तर्गत अत्यधिक फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित ग्रामों हेतु 460 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इससे लगभग 2200 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मिशन के अन्तर्गत

अजमेर जिले में फ्लोराइड से प्रभावित भिनाय एवं मसूदा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 43.99 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे विजयनगर व गुलाबपुरा शहर की पेयजल समस्या का भी समाधान हो सकेगा। अजमेर जिले के ही अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 61.03 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह पाली जिले के फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित 156 ग्रामों व 112 ढाणियों के लिए 31.33 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की गई हैं। धौलपुर व भरतपुर जिलों के खारे पानी से प्रभावित 212 ग्रामों व भरतपुर शहर को चम्बल नदी स्रोत से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रथम चरण में 166.50 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

19. राज्य में भू-जल संसाधनों के विकास हेतु भू-जल विभाग द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 1999 तक कुल 707 नलकूप/हैण्ड पम्प/पीजोमीटर बनाये गये हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति कृषकों के 2182 कुओं को विस्फोटन द्वारा गहरा किया गया है। कृषकों हेतु बनाये गये नलकूपों व गहरे किये गये कुओं से लगभग 972 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा प्रदत्त सहायता से संचालित 'पुरा जल प्रवाह क्षेत्रों' के चिन्हित करने की (सरस्वती नदी खोज) योजना के तहत जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में 'कोर पद्धति' द्वारा 7 परीक्षण नलकूप निर्मित किये गये।

20. राज्य में सन् 2003 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता मिशन स्थापित किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में 12500 से अधिक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालायें खोलकर शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन पाठशालाओं से लगभग 5 लाख 30 हजार बच्चों का अतिरिक्त नामांकन हुआ है। इस वर्ष 867 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 387 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक एवं 189 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में से 2 को आचार्य, 5 को शास्त्री, 15 को वरिष्ट उपाध्यक्ष, 20 को प्रवेशिका एवं 50 को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया है जिसके लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है। यह वर्ष संस्कृत वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में नीतिगत निर्णय लेकर विद्यालयों में पदों का समानीकरण कर दिया गया है।

21. राजकीय क्षेत्र में बीकानेर में मूक व बधिर एवं जोधपुर में अन्ध विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बारां, नाथद्वारा (राजसमंद), बांदीकुई (दौसा) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना की स्वीकृति जारी की गई।

22. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित 'सुरक्षा बीमा योजना' के प्रीमियम

को दुगुना किया गया है। जन सहभागिता सुनिश्चित् करने के लिए संचालित जन सहभागिता विद्यालय मरम्मत योजना को संशोधित कर विद्यालय भवन विकास योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें जन सहयोग एव राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 30:70 किया गया है।

23. अल्प संख्यकों के लिए मान्यता प्राप्त 619 मदरसों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

24. दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 25 बालिका छात्रावास निर्माण, 1165 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक तथा 1900 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 131 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चार-दीवारी निर्माण एवं 4159 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प स्थापित करने हेतु 28.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई।

25. राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के योजनाबद्ध विकास के प्रयास किये गये हैं। इस वर्ष बीकानेर में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है। निजी क्षेत्र में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं एक आर्कीटैक्चर महाविद्यालय जयपुर में तथा एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय सीकर में प्रारम्भ किये गये है।

26. उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु राजकीय क्षेत्र में 14 तथा निजी क्षेत्र में 17 नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। राज्य में विधि शिक्षा में गुणात्मक विकास तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि शिक्षा को महत्व देते हुए इस वर्ष उदयपुर में अलग से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

27. महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से राज्य की महिला नीति 8 मार्च, 2000 को जारी की गई। महिला अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया है। महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

28. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष से महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया तय की जा चुकी है। राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में इनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 को लागू किया जा चुका है। बारां जिले में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 25 प्रतिशत बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिवासियों से भरे जाने हेतु प्रावधान किया गया है। सहरिया आदिम जाति की कृषि भूमि को सहरिया आदिम जाति से भिन्न किसी अन्य जनजातियों को विक्रय दान अथवा वसीयत द्वारा हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

29. प्रदेश में उपलब्ध सतही जल एवं भू-जल संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग के लिए राज्य जल नीति बनाई गई है। सिंचाई क्षमता के विस्तार को गति

प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए आर. आई. डी. एफ. के तहत नाबार्ड से ऋण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1999-2000 में सावन-भादों एवं परवन लिफ्ट परियोजना पूर्ण होने की सम्भावना है। वर्तमान में 134 लघु परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 60 लघु परियोजनाएं पूर्णता के सन्निकट है।

30. गत 30 वर्षों से लम्बित चम्बल नदी बेसिन के शेष उपलब्ध जल संसाधनों के विकास में उपयोग हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 18 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है। इससे कोटा सम्भाग में लगभग 3.0 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

31. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत साहवा, गजनेर कोलायत, बांगड़सर, फलौदी और पोकरण जलोत्थान योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में इस वर्ष 183.23 कि.मी. नहर प्रणाली बनाई गई है। आगामी वर्ष में भी लिफ्ट नहरों पर कार्य द्रुत गति से जारी रखा जायेगा।

32. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर मण्डल द्वारा 5.97 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिसमें से 4.59 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पक्के खाले निर्मित किये जा चुके हैं। क्षेत्र में सेम की बढ़ती हुई समस्या के निवारण के लिए एक बहु-आयामी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत एक तरफ तो जल प्रबन्ध की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जल निकास की व्यवस्था की जा रही है।

33. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 6.97 लाख हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हुई हैं, जिसमें से 4.37 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया जाकर कृषि योग्य क्षेत्र तैयार कर दिया गया है। इस वर्ष के अन्त तक 42000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में खालों इत्यादि का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है।

34. चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना हेतु सेम की समस्या के निवारण हेतु रजाड परियोजना अब अन्तिम चरण में है। इसके तहत 14924 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पादित हो चुका है। इस परियोजना क्षेत्र में नहरों के रख रखाव की मुख्य समस्या के समाधान के लिए सहभागी सिंचाई प्रबन्ध व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु एक नया अधिनियम प्रक्रियाधीन है।

35. जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष दिसम्बर, 99 तक 40.40 करोड़ रुपये व्यय कर 169306 हैक्टेयर भूमि उपचारित की गई है।

36. उद्यानिकी विकास के तहत सीमित जल संसाधनों के आदर्शतम उपयोग के लिए दिसम्बर, 99 तक 1000 हैक्टेयर

क्षेत्र में ड्रिप संयंत्रों की स्थापना की गई है। धनियां, जीरा एवं मेथी के उत्पादन में राज्य का स्थान प्रथम रहा है। इसी प्रकार किन्नू माल्टा, संतरा एवं बेर के उत्पादन में भी राज्य की विशिष्ट पहचान बनी है।

37. किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के तहत इस वर्ष कृषि जिन्सों के पेटे मौके पर ही 75 प्रतिशत रहन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निगम द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य के आधार पर कृषकों से 1.99 लाख मै. टन गेहूं की खरीद की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है।

38. सहकारी ऋण व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। किसानों को सहकारी कृषि ऋण सरलता और सुगमता से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सहकारी किसान कार्ड योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है।

39. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के पश्चिमी जिले स्थानीय नस्लों के पशुधन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वर्ष प्रदेश में 100 नये पशु चिकित्सालय एवं 400 नये चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये हैं।

40. इस वर्ष दिसम्बर तक राज्य ने दुग्ध विपणन क्षेत्र में सम्पूर्ण उत्तरी भारत में प्रथम स्थान अर्जित किया है तथा डेयरी फैडरेशन ने स्व-निर्मित पशु आहार विपणन में भी पूरे उत्तरी भारत में प्रथम स्थान दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया है एवं डेयरी फैडरेशन को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 'ज्ञान ज्योति' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

41. भेड़ों के स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में उपलब्ध भेड़ो की मृत्यु दर कम हुई है, जिसके कारण भेड़ों की संख्या में वर्ष 1992 की पशु गणना की तुलना में 14.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

42. राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाये गये सकारात्मक कदमों से उद्यमी सहयोग का वातावरण बना है जो राज्य के औद्योगिक विकास की प्रगति में परिलक्षित होता है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर अनेक नियमों व प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय तथा दूसरे राज्यों के एवं विदेशी निवेशक राज्य में उद्योग लगाने के प्रति आकृष्ट हुए हैं। राज्य में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में इकोनोमिक डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया हैं तथा त्वरित निवेश हेतु नियमों में संशोधन कर उद्योगों में सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स की व्यवस्था की गई है।

43. राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 1999 तक 116.37 करोड़ की ऋण स्वीकृति, 74.05 करोड़ रुपये का ऋण वितरण एवं 126.04 करोड़ रुपये की बकाया ऋण वसूली की गई है। निगम ने बकाया ब्याज उद्यमियों द्वारा जमा कराये जाने पर मूल ऋण की किश्तों के पुन-र्निर्धारण की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम

बनाया है । निगम पूर्व की घाटे की स्थिति से उबरकर अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर अब लाभ की स्थिति में आ गया है ।

44. रीको द्वारा इस वर्ष नवम्बर, 1999 तक उद्योगों को 30.62 करोड़ के सावधि ऋण वितरण एवं 44.37 करोड़ के बकाया सावधि ऋण की वसूली की गई । भू-आवंटन नियमों को सरलीकृत किया गया है । सीतापुरा (जयपुर) औद्योगिक क्षेत्र में सी–डॉस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत के तकनीकी एवं व्यापार सूचना केन्द्र की स्थापना की जा रही हैं । अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 'इण्डिया स्टोन मार्ट–2000' का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के पत्थर उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावनाएं बनी हैं ।

45. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छिपी विपुल सम्भावनाओं का राज्य के हित में उपयोग करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई है । इस नीति से इलैक्ट्रोनिक–शासन, इलैक्ट्रोनिक–शिक्षा एवं इलैक्ट्रोनिक–शिक्षा आधारित रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेगीं ।

46. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम का विस्तार 17000 गांवों तक हो चुका है ।

47. विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग में पेटेण्ट से सम्बन्धित सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और इस वर्ष एक पेटेण्ट सूचना केन्द्र स्थापित करने की शुरूआत की गई है । राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन हेतु जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सैन्सिंग सेन्टर द्वारा रिसोर्स एटलस व वाटरशैड एटलस बनाया गया है ।

48. राज्य में प्रथम बार सवा वर्ष की अवधि में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर अब अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी क्रमश: 60, 64 एव 68 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है । इस दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान आज बेहतर स्थिति में है । बीड़ी, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण, पापड़, पत्थर तोड़ना व पीसना तथा नमक बनाने के कुछ अधिसूचित नियोजनों में पहली बार न्यूनतम मजदूरी को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते से जोड़ा गया है ।

49. जयपुर, जोधपुर, अजमेर और टोंक में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 20–20 विशेष विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त की गई है । उदयपुर बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में चल रहे 40 विशेष विद्यालयों के अलावा 20 नये विद्यालय खोले जाकर उनकी क्षमता का विस्तार किया गया है । राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 7060 बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जा सकेगा । इस पर 2.38 करोड़ रुपये व्यय होंगे । जयपुर में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ 2000 बाल श्रमिकों के लिए 80 विशेष विद्यालय खोले जाने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन दो करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा ।

50. राज्य सरकार अपनी घोषित नीति के अनुरूप राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने को कृतसंकल्प है। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना प्रथम चरण की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई से फरवरी, 1999 से वाणिज्यिक उत्पादन चालू है। इसी चरण की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई अपने निर्धारित लक्ष्य अक्टूबर, 2000 से पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दे, इसके प्रयत्न किये जा रहे हैं। 2057 करोड़ रुपये की 500 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में बरसिंगसर लिग्नाईट ताप विद्युत परियोजना (2 × 250 मेगावाट) के लिए प्रायोजक का चयन अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं द्वारा निम्नतम दरों के आधार पर किया गया था जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गई है। कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट नीति के अन्तर्गत मैसर्स अनिता इम्पेक्स लि. की 166 मेगावाट एवं मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. की 160 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त मै. एल. एन. जे., भीलवाड़ा समूह द्वारा 86 मेगावाट का विद्युतगृह मलाना (हिमाचल प्रदेश) का कार्य प्रगति पर है जो राजस्थान स्थित अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति करेगा।

51. राज्य में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 400 के. वी. सब–स्टेशन सूरपुरा (जोधपुर) एवं रतनगढ़ (चूरू) में स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में पावर सैक्टर सुधार अधिनियम, 1999 बना दिया गया है तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से 2500 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना तंत्र सुधार हेतु लागू किया जाना प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 हजार से ज्यादा कृषि कनैक्शन एव 2लाख से अधिक घरेलू विद्युत कनैक्शन दिए गए हैं।

52. राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा इस वर्ष 3800 सोलर फ़ोटोवोल्टिक आधारित घरेलू लाईटों के माध्यम से 70 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण पैटर्न पर चलाये जा रहे इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है एव राजस्थान मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2000 अतिरिक्त घरेलू लाईटिंग सिस्टम का आबंटन किया जा रहा है जिनके माध्यम से 40 और गांवों का विद्युतीकरण जून 2000 से पूर्व किया जा सकेगा।

53. राज्य में 2 मेगावाट क्षमता की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में स्थापित की जा चुकी है तथा 2.25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जा रही है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन नीति घोषित की गई है जिससे प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने की सम्भावना है।

54. मथानिया में 872 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली विश्व की प्रथम एकीकृत सौर निर्मित चुम्बकीय विद्युत परियोजना हेतु सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली

गई हैं तथा मार्च, 2001 तक इस परियोजना पर कार्य शुरू होना सम्भावित हैं।

55. इस वर्ष राज्य आयोजना एवं अन्य आयोजना के अन्तर्गत 2503 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 698 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य हाथों में लिया गया है, जिनमें 487 पंचायत मुख्यालय भी शामिल है। इन लक्ष्यों में कृषि उपज मण्डी द्वारा जोड़े जाने वाले गांव व पंचायत मुख्यालय भी सम्मिलित हैं।

56. नवीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की सहायता से 876 कि.मी. लम्बाई के राज्य उच्च मार्गों के उन्नयन की एक परियोजना तैयार की गई है जिसकी लागत 1560.51 करोड़ रुपये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1800 कि.मी. सड़कों का विशेष संधारण भी किया जावेगा।

57. नवीन विधान सभा भवन परियोजना पर जनवरी, 2000 तक 76.94 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। भवन का निर्माण कार्य मार्च, 2001 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

58. मेरी सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है। यह प्रशासन में दृढ़ होने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों के प्रति भी समर्पित है। शासकीय, प्रशासकीय व सामाजिक परम्पराओं व रीति-नीतियों के चलते सामान्य जन के साथ अतिचार न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। मुझे विश्वास है कि शासन द्वारा समस्त प्रकार के मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं पोषण करने के संकल्प को क्रियान्वित करने में इस आयोग की सहायता भी मिलेगी।

59. टाडा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने पुनरीक्षण कर कुछ मामलों में इस अधिनियम की धाराएं हटाये जाने का निर्णय लिया है। राज्य में महिला अत्याचारों की रोक-थाम के लिए अधिक संवेदनशीलता और सजगता से की गई कार्यवाही से गम्भीर प्रकृति के अपराधों पर अंकुश लगा है। इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की रोक-थाम पर विशेष ध्यान दिया गया है।

60. पुलिस बल को अधिक सक्षम एवं कार्यकुशल बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं जोधपुर में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला अंगुल चिन्ह संग्रहालय के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। राज्य के अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ राज्य अल्प संख्यक आयोग की पुनर्स्थापना की गई है।

61. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पाली तथा बालोतरा में वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण हो रहे जल प्रदूषण पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से वहां एक-एक संयुक्त उपचार सयंत्र की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष में केन्द्र सरकार की सहायता से जसोल एवं बिठूजा (बाड़मेर) तथा जोधपुर में संयुक्त उपचार संयन्त्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

62. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के

अन्तर्गत उदयपुर स्थित झीलों को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार इस योजना की केन्द्र सरकार से शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।

63. राज्य में विद्यमान जलवायु की विषम परिस्थितियों तथा चराई के दबाव के बावजूद उपग्रहों से प्राप्त चित्रों एवं सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार गत दो वर्षों में 518 वर्ग कि.मी. वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है, जिसमें तीन लगातार द्विवार्षिक सर्वे में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होना आंका गया है।

64. वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं स्थानीय लोगों, ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से गांव-गांव में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को व्यापक बनाकर गतिशील किया जा रहा है। मरु क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण कार्य हाथ में लिया गया है। जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहायता एजेन्सी (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण की परियोजना, जो फरवरी, 2000 में समाप्त होने वाली थी, की समयावधि दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

65. राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन 12 जुलाई, 1999 को कर दिया गया है। समस्त वक्फ सम्पदाओं के सर्वे हेतु सर्वे आयुक्त, वक्फ का पद सृजित कर दिया गया है। सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) को अतिरिक्त सर्वे आयुक्त एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार को सहायक सर्वे आयुक्त घोषित किया गया।

66. देवस्थान की समान पद्धति से किराया वसूल करने के सम्बन्ध में सम्पदा किराया नीति प्रक्रियाधीन है। इस नीति से विभाग की आय में वृद्धि होगी, साथ ही समान पद्धति से किराया वसूल हो सकेगा। देवस्थान की भूमि में अवैध खनन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने तथा आय में वृद्धि तथा आबंटन में पारदर्शिता के उद्देश्य से सतह पर अधिकार देने की नई नीति मंजूर की गई है।

67. उपनिवेशन क्षेत्र में इस वर्ष दिसम्बर, 1999 तक 14239 व्यक्तियों को 61693 हैक्टेयर कमाण्ड एवं 13471 हैक्टेयर अन-कमाण्ड भूमि का आबंटन किया गया है। इस वर्ष आबंटित उक्त कुल भूमि में अनुसूचित जाति/जनजाति के 1142 व्यक्तियों को कुल 5826 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है।

68. 1500 करोड़ रुपये की 6 नगरों के आधारभूत ढांचागत विकास परियोजना पर राज्य सरकार एवं एशियन डेवलपमैंट बैंक के मध्य ऋण अनुबन्ध जनवरी, 2000 से प्रभावी हो चुका है। दो अन्य परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित करने की मन्जूरी प्रदान की गई है तथा विश्व बैंक के साथ परियोजना स्वीकृति हेतु उच्च स्तरीय सम्वाद प्रगति पर है। "राजस्थान में मानव विकास की स्थिति-1999" के दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जायेगा। यह दस्तावेज मानव

विकास से सम्बन्धित नीतियों के निर्धारण में सहायक होगा।

69. राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 15 अगस्त, 1998 तक राजकीय / स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध रूप से बसी 2113 कच्ची बस्तियों के नियमन का निर्णय लेकर 200 वर्ग गज तक के अतिक्रमणों को नाम-मात्र के शुल्क पर नियमित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों की आवास समस्या का निदान हो सके। नीतिगत निर्णय लेकर महिलाओं का नाम भी नियमन पट्टों में शामिल किया गया है। कृषि भूमि पर बने आवासीय मकानों के नियमन का निर्णय लेकर इनके नियमन के लिए शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। अब किसान अपनी कृषि भूमि पर आवासीय कालोनी की योजना बनाकर स्वयं भू-उपयोग परिवर्तन करवा सकता है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 1999 को 'मुख्य मंत्री रोजगार योजना' घोषित की गई। इस योजना के तहत अब तक 14 शहरों में लगभग 6000 कियोस्कों का निर्माण किया जा चुका है। शहरी निकायों को कियोस्क बनाने हेतु नये लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं, जिससे एक लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.03 लाख मानव दिवस सृजित कर आवश्यक विकास कार्य करवाये गये।

70. शासन एक ऐसे शहरी क्षेत्र के विकास की अवधारणा को बलवती करना चाहता है जिसमें शहर की सुन्दरता के साथ-साथ सुगम यातायात व्यवस्था एवं सुविधाओं की उपलब्धि एवं उपभोग की सम्भावनायें बढ़े एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को रोजगार हेतु बेहतर और स्वस्थ्य वातावरण मिले। इसी दृष्टिकोण से प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का कार्य दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रारम्भ किया गया है।

71. राज्य में इस वर्ष, 4 नये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व ब्यावर में एक जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है। परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने एवं उसमें सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में यातायात सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने के परिपेक्ष में विद्युत बैटरी चालित समस्त प्रकार के वाहनों को पूर्णतः मोटर वाहन करों से मुक्ति दी गई है। मोटर वाहनों के अस्थाई पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्तियां उनके डीलर्स को ही प्रदान कर दी गई हैं। आगामी वर्ष में सभी सम्भागीय मुख्यालयों एवं भीलवाड़ा व अलवर के लिए उप-नगरीय परिवहन योजनाएं बनाई जा रही है।

72. इस वर्ष पर्यटक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के तहत ओसियां मन्दिर, जोधपुर, किराडू मन्दिर, बाड़मेर, शाही छतरियां, मण्डोर, मेवाड़ कॉम्पलेक्स, उदयपुर तथा बून्दी, जयपुर, विराटनगर व सालासर (चूरू) के कार्य प्रमुख है। स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि से वर्ष 1999 एक सफल वर्ष रहा है। इस वर्ष में कुल पर्यटकों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। वर्ष 1998 में जहां कुल 69.05 लाख पर्यटक राज्य में आये वहीं इस वर्ष 72.38 लाख पर्यटक आये हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष

आमेर महल, जयपुर को सर्वोत्तम पर्यटक मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया है ।

73. राज्य सरकार देश की सुरक्षा तथा काउन्टर इन्सरजेन्सी (Counter insurgency) अभियानों में लगे सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को अत्यधिक सम्मान देती है । राज्य के शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं विकलांग हुए सैनिकों के लिए एक विशेष पैकेज दिनांक 1.4.99 से लागू किया गया है । पैकेज के अन्तर्गत मुख्य मंत्री सहायता कोष से रुपये एक लाख की तात्कालिक सहायता, 25 बीघा भूमि अथवा मध्यम आय वर्ग का आवासन मण्डल का मकान अथवा इनकी एवज में चार लाख रुपये नकद राशि दी जाती है । शहीद के माता–पिता के नाम 1.02 लाख रुपये की राशि पोस्ट ऑफिस में जमा कराने का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें एक हजार रुपये की मासिक ब्याज राशि नियमित रूप से मिल सके । शहीद के किसी एक आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति, बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, प्राथमिकता के आधार पर कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन, शहीद के नाम पर एक विद्यालय के नामकरण का प्रावधान भी पैकेज में किया गया है । स्थाई रूप से विकलांग हुए सैनिकों के पुनर्वास हेतु भी समुचित प्रावधान किये गये हैं ।

74. पैकेज लागू होने से पूर्व के शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना शीघ्र ही लागू करने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार विभिन्न सैन्य सम्मान प्राप्त करने वाले सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के लिए भी संशोधित पैकेज प्रस्तावित हैं ।

75. अनियमित एवं कम वर्षा के कारण राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । सम्वत् 2055 में अभावग्रस्त घोषित राज्य के 20 जिलों में 15 जुलाई, 1999 तक राहत कार्य चलाये गये । राहत कार्यों पर अधिकतम रोजगार माह जून, 99 में 6.13 लाख श्रमिकों को उपलब्ध करवाया गया । चारा व्यवस्था के अन्तर्गत 253 चारा डिपो खोले जाकर पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति, 319 टैंकरों द्वारा परिवहन कर समस्याग्रस्त 2130 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई । उक्त राहत व्यवस्थाओं पर लगभग 467 करोड़ रुपये व्यय किये गये ।

76. इस वर्ष भी राज्य में सूखे की स्थिति है । सम्वत् 2056 की खरीफ की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है तथा राज्य के 26 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 23406 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । इन अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं । पशुधन की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार चारा डिपो तथा पशु शिविर खोल दिये गये हैं । समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है । विषम वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य, पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध एवं पेयजल व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ।

77. राज्य सरकार ने शासन सम्भालते समय प्रदेश की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सरकार प्रदान करने

का वादा किया था। इस के अनुरूप राज्य की वर्तमान प्रशासनिक प्रक्रिया में परिवर्तन करने एवं इसमें आवश्यक सुधार के उपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने 4 मार्च, 2000 को अपने पांच प्रतिवेदन सौंप दिये हैं। राज्य की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी एव जवाबदेह प्रशासन देने की अपनी वचनबद्धता के अनुरूप राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर यथाशीघ्र विचार कर इन्हें लागू करने की मंशा रखती है।

78. मेरी सरकार एक स्वच्छ शासन-प्रशासन देने के लिए कृत संकल्प है। राज्य की जनता को उसके द्वारा देय राजस्व का पूरा-पूरा लाभ मिले और विकास हेतु परिव्यय अभीष्ट प्रयोजनार्थ ही व्यय हो, यह सुनिश्चित करने हेतु शासन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार निरोधक एवं उन्मूलक कार्यवाही अमल में लावेगा। राज्य अन्वेषण ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ भ्रष्ट जन सेवकों के विरुद्ध प्रभावी व सतत् कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन से यह अपेक्षा होगी कि वह पूर्ण सत्यनिष्ठ, कर्तव्य निष्ठ तथा कर्मठ तरीके से कार्य करे। स्वच्छ शैली के कार्मिकों व सदाचार को बढ़ावा दिया जायेगा तथा कदाचारियों को सख्त सजा। चूंकि स्वच्छ सरकार ही स्वच्छ प्रशासन दे सकती है, इस अपेक्षा की शुरूआत शीर्षस्थ बिन्दु से की गई है।

79. आम जनता को सूचना का अधिकार देने की नीति के अन्तर्गत जन सम्पर्क से जुड़े हुए विभागों के नागरिक अधिकार पत्र तैयार कराकर प्रकाशित किये जा रहे हैं। सूचना के अधिकार को अतिशीघ्र कानूनी रूप दिया जाना भी प्रस्तावित है। अब तक राजस्व विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परिवहन विभाग, एवं आपूर्ति विभाग, स्थानीय निकाय एवं सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के नागरिक अधिकार पत्र प्रकाशित किये जा चुके हैं। शेष रहे विभाग इस वर्ष 30 जून तक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करेंगे।

80. राजस्व विभाग में नागरिक अधिकार पत्र राज्य के समस्त जिलों में 1 नवम्बर, 1999 से लागू किया गया है, जिसमें पटवार स्तर तहसील स्तर पर जिला कलेक्टर स्तर पर आम जनता के दैनिक कार्यों के सम्बन्ध में समय सीमा एवं इस निमित्त लगने वाले शुल्क का विवरण दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य निर्धारित समयावधि में नहीं किये गये हों तो वे इसकी शिकायत अधिकारियों को कर सकते हैं।

81. जनअभियोगों के निराकरण एवं प्रशासन को अधिक संवेदनशील तथा उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने एवं विकास को गति देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 1539 शिविर आयोजित किए गए जिनमें 1,32000 से अधिक जन अभियोगों का निस्तारण किया गया है। राज्य सरकार ने जन कल्याण कार्यों को सम्पादित करने के लिए 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की है जिसके पर्यवेक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

82. अपने कार्यस्थल से अपने कार्यस्थल तक अनुपस्थित रहने वाले राज्य कर्मचारियों पर निगरानी हेतु स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई है जिनकी रिपोर्ट पर सम्भागीय आयुक्त दोषी कर्म-

चारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जिलों में कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है तथा कई जिलों में स्थानान्तरण किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में सम्भागीय आयुक्त द्वारा किया गया स्थानान्तरण केवल मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार दुराचरण के दोषी, भ्रष्टाचार में लिप्त तथा बिना अनुमति कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध भी सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई है।

83. माननीय सदस्य गण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे—

1. कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2000
2. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000
3. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000
4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000
5. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000

इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जावेंगे :–

1. वर्ष 1999–2000 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगे।
2. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1998 99 के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे।
3. वर्ष 2000-2001 के लिये आय व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगे तथा वर्ष 2000–2091 के लिये लेखानुदान

84. अन्त में मैं वैदिक ऋषि की इस कामना के साथ अपने वक्तव्य का उपसंहार करता हूं—

"संगच्छध्वं, संवदध्वं, स वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।" (ऋग्वेद)

अर्थात आप सब एक साथ मिल बैठें। आपस में सार्थक संवाद करें। एक दूसरे के मन को एकसूत्र में आबद्ध करते चलें। इसी प्रकार आपके पूर्ववर्ती महापुरुषों ने पारस्परिक सद्भाव से जनहित के कार्य किए थे तथा अपना–अपना कर्तव्य निभाया था।

जय हिन्द